रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240560 CG-DL-E-25112022-240560

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5266] No. 5266] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5495(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना (इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 कहा गया है) द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और विस्तार करने, प्रचालन और प्रसंस्करण पर प्रतिबंध अधिरोपित किए गए थे;

और, केंद्रीय सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात राज्य सरकारों और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में कितपय संशोधनों को करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीआरजेड-। और आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में अवस्थित छोटी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या राज्य सरकारों को तटीय विनियमन जोन मंजूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, सीआरजेड-Iए क्षेत्रों को छोड़कर उसमें अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग और संबंद्ध सुविधाओं की छूट देने, यथा संशोधित तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में पहले से उपलब्ध अस्थायी बीच (समुद्र तट) झोपडियों के उपबंध को शामिल करने और उक्त उपबंध को सभी तटीय राज्यों में विस्तारित करने, तारीख 9 जून, 2011 और 8 नवंबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पहले से उपलब्ध तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अधीन पारम्परिक समुदायों द्वारा रेत रोधनों के हटाने को अनुमत करना और खंड 10.2 (iii) में तथ्यात्मक संशोधन करना शामिल है;

और, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण ने 23 मार्च, 2021 को अपनी 42वीं बैठक में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में संशोधन करने की सिफारिश की है;

7848 GI/2022 (1)

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार एक प्रारूप अधिसूचना संख्या का.आ. 4547(अ), तारीख 1 नवंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 60 दिनों की अविध के भीतर, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 1 नवंबर, 2021 को जनता के लिए उपलब्ध कराईं गईं थी;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की परीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

और, उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित उक्त तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) पैरा 5 में, उप-पैरा 5.1.2 में, खंड (xix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(xx) गैर-मानसून महीनों के दौरान पूर्णत: अस्थाई और मौसमी संरचनाओं (अर्थात् झोपडियों) को साधारणतया स्थापित किया जाएगा:

परंतु, इन संरचनाओं में उपलब्ध सुविधाएं, मानसून के महीनों के दौरान प्रचालन में नहीं रहेंगी।";

- (ख) पैरा 7 में, उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात :-
 - "(ii) सीआरजेड-I और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर, संचालित सभी विकासात्मक कार्यकलापों या परियोजनाओं, जो इस अधिसूचना के अनुसार विनियमित या अनुज्ञेय हैं, के संबंध में संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा तटीय विनियमन जोन मंजूरी के लिए कार्रवाई की जाएगी, अर्थात :-

स्टैंड-एलोन जेट्टी, सॉल्ट वर्कस, स्लिपवेज़, अस्थाई संरचनाएं और अपरदन नियंत्रण उपाय (जैसे मेढ़ें, सी-वॉल, ग्रॉइनस, ब्रेकवाटर्स, जलमग्न चट्टानें, सैंड नरिशमैंट आदि)

जिन पर संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी।"

- (ग) पैरा 8 में
 - i. उप-पैरा (i) में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ड.) केंद्रीय सरकार द्वारा अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा संबंधित तटीय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, एचटीएल, एलटीएल और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन का प्रयोग करते हुए 1:4000 स्केल में तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार किया गया है।";
 - ii. उप-पैरा (ii) में, खंड (क), (ख) और (ग) के लिए निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - '(क) पर्यावरण समाघात निर्धारण अधीन अधिसूचना, 2006 संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अधीन आने वाली परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण अपनी सिफारिशों को क्रमशः श्रेणी "क"और श्रेणी "ख" की परियोजनाओं हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा ताकि पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन एक संयुक्त मंजूरी प्रदान की जा सके।

- (ख) तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण, इस अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध परियोजनाओं या कार्यकलापों को छोड़कर, उन परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशों अग्रेषित करेगा जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में शामिल नहीं हैं, किंतु यह अधिसूचना उन पर लागू होती है और वे सीआरजेड-। या सीआरजेड-। ४ क्षेत्रों में स्थित हैं।
- (ग) उन परियोजनाओं या कार्यकलापों जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में शामिल नहीं हैं, किंतु जिन पर यह अधिसूचना लागू होती है तथा वे सीआरजेड-II या सीआरजेड-III क्षेत्रों में स्थित हैं या उन परियोजनाओं या कार्यकलापों, जो इस अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध है, के संबंध में संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से साठ दिनों के भीतर मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पण: परमाणु ऊर्जा विभाग या राष्ट्रीय रक्षा अथवा रणनीतिक अथवा सुरक्षा महत्ता से संबंधी परियोजनाओं से संबंधित सभी निर्माण कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर तटीय विनियमन जोन अनापत्ति अथवा सम्मिश्र मंजूरी प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और इसमें वे परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी जो सीआरजेड-II अथवा सीआरजेड-III में स्थित हैं अथवा पैरा 7 के उप पैरा (ii) में सूचीबद्ध है और जिन्हें केवल तटीय विनियमन जोन मंजूरी की आवश्यकता है।

- (घ) पैरा 10 में, -
 - (i) उप पैरा 10.2 में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा अर्थात :-
 - "(iii) का.आ. 1242(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा अधिसूचित एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में छोटे द्वीपसमूहों पर यथा अनुप्रयोज्य ऐसे सभी द्वीपों के लिए संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाएगी और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाओं के तैयार होने तक इस अधिसूचना के उपबंध लागू नहीं होंगे और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 संख्या का. आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार, तटीय जोन प्रबंधन योजना लागू होती रहेगी।";
 - (ii) उप पैरा 10.3 के पश्चात निम्नलिखित उप पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10.4 तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में रेत रोधनों को हटाया जाना — पारंपरिक तटीय क्षेत्र के समुदायों द्वारा अंतरज्वारीय क्षेत्र के भीतर केवल गैर मशीनीकृत हस्त चालित प्रणाली से रेत रोधनों को हटाया जाएगा। राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन हस्त चालित ढंग से रेत को हटाने के लिए अनुमत किए गए स्थानीय समुदायों के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण किए जाने की शर्तों के अध्यधीन विशिष्ट मात्रा सहित किसी विशेष क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि में रेत को इस तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है और उसे वार्षिक आधार पर नवीकृत करेगी।"

[फा.सं. 19-112/2013-आईए-III (पार्ट)] डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 37(अ) तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 4886(अ) तारीख 26 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

S.O. 5495(E).—Whereas the Central Government by the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number G.S.R. 37(E), dated the 18th January 2019 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone notification, 2019), declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas, the Central Government have received representations from different stakeholders *viz.* the State Governments and Ministry of Petroleum and Natural Gas through Director General of Hydrocarbon for making certain amendments in Coastal Regulation Zone notification, 2019, *inter-alia*, for delegating the powers of giving Coastal Regulation Zone clearance to the State Coastal Zone Management Authorities or State Governments for small infrastructure projects located in CRZ-I and CRZ-IV areas, exempting exploratory drilling and associated facilities thereto except CRZ-IA areas, including the provision of temporary beach shacks as already available in Coastal Regulation Zone notification, 2011 as amended and expanding the said provision to all coastal states, allowing removal of sand bars by traditional communities under the provisions of the Coastal Regulation Zone notification, 2019 as already available through Office Memorandum dated the 9th June, 2011 and the 8th November, 2011 and making factual correction in clause 10.2 (iii);

And whereas, the National Coastal Zone Management Authority in its 42nd meeting held on the 23rd March, 2021 has recommended making amendments to the Coastal Regulation Zone notification, 2019;

And, whereas, a draft notification, required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.4547(E), dated the 1st November, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 1st November, 2021;

And whereas, the Central Government has constituted an Expert Committee to examine the objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification;

And whereas, the recommendations of the said Expert Committee and all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the said Coastal Regulation Zone notification, 2019, published *vide* G.S.R. 37(E), dated the 18th January 2019, namely: -

In the said notification, —

- (a) in paragraph 5, in sub-paragraph 5.1.2, after clause (xix), the following clause shall be inserted namely:-
 - "(xx) Purely temporary and seasonal structures (e.g. shacks) customarily put up during non-monsoon months:
 - Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during monsoon months.";
- (b) in paragraph 7, for sub-paragraph (ii) the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

"(ii) All development activities or projects in CRZ-I and CRZ-IV areas, which are regulated or permissible as per this notification, shall be dealt with by the Central Government for Coastal Regulation Zone clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority with the following exceptions, namely:—

Stand-alone jetties, Salt works, Slipways, Temporary structures and Erosion Control Measures (like Bunds, Seawall, Groynes, Breakwaters, Submerged reef, Sand nourishment, etc.)

which shall be dealt by concerned Coastal Zone Management Authority.";

- (c) in paragraph 8,
 - (i) in sub-paragraph (i), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:
 - "(e) Coastal Regulation Zone map in 1:4000 scale, drawn up by the agencies identified by the Central Government using the demarcation of the HTL, LTL and ecologically sensitive areas as specified by National Centre for Sustainable Coastal Management for the concerned coastal area.";
 - (ii) in sub-paragraph (ii), for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:
 - '(a) For the projects or activities also attracting the Environment Impact Assessment Notification, 2006 number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006, the Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority for Category "A" and Category "B" projects respectively, to enable a composite clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - (b) Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government for the projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this Notification and located in CRZ-I or CRZ-IV areas, except in respect of those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification.
 - (c) Projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this Notification and located in CRZ-II or CRZ-III areas or those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification, shall be considered for clearance by the concerned Coastal Zone Management Authority within sixty days of the receipt of the complete proposal from the proponent.
- **Note:** All construction activities related to projects of the Department of Atomic Energy or related to National Defence or Strategic or Security importance shall be dealt with by the Central Government for Coastal Regulation Zone clearance or composite clearance, as the case may be, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority, except those located in CRZ-III or CRZ-III or listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 and requiring only Coastal Regulation Zone clearance.';
- (d) in paragraph 10,
 - (i) in sub-paragraph 10.2, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(iii) Integrated Island Management Plans, as applicable to smaller islands in Lakshadweep and Andaman and Nicobar by notification *vide* number S.O.1242 (E), dated the 8th March, 2019, shall be formulated by respective State Governments or the Union territory Administration for all such islands and submitted to the Central Government and till the Integrated Island Management Plans are framed, provisions of this notification shall not apply and the Coastal Zone Management Plan as per provisions of Coastal Regulation Zone notification, 2011 number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011, shall continue to apply.";

(ii) after sub-paragraph 10.3, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"10.4. Removal of sand bars in Coastal Regulation Zone.- The sand bars in the intertidal areas shall be removed by traditional coastal communities only through a non-mechanised manual method. The State Governments and Union territory Administration may permit such removal of sand in the specified time period in a particular area along with a specific quantity subject to conditions such as registration of local community persons permitted to remove the sand manually and shall be renewed on yearly basis."

[F.No. 19-112/2013-IA III(pt)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 and last amended, *vide* S.O. 4886(E), dated the 26th November, 2021.